

एम/एस दुर्गा होटल कॉम्प्लेक्स

बनाम

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एवं अन्य

15 मार्च, 2007

[एच. के. सेमा और पी. के. बालासुब्रमण्यन, जे. जे.]

बैंकिंग लोकपाल योजना, 1995:

खंड 13 और 16-बैंकिंग लोकपाल का क्षेत्राधिकार-दायरा- बैंकिंग लोकपाल के समक्ष दायर शिकायत-ऋण वसूली न्यायाधिकरण के समक्ष बैंक द्वारा दायर पश्चातवर्ती- याचिका आदेश- दावा दायर करने के बाद- बैंकिंग लोकपाल शिकायत पर विचार करने का अधिकार क्षेत्र खो देता है- बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949

खंड 13 और 16 - बैंकिंग लोकपाल - क्षेत्राधिकार - आदेश, सीमित है -- उसके पास बैंक को अग्रिम एडवांसेस करने के लिए मजबूर करने का कोई क्षेत्राधिकार नहीं है - वह पक्षों द्वारा निर्धारित पुनर्भुगतान अनुसूची या वित्तपोषण अनुपात के बारे में बैंक और उधारकर्ता के बीच समझौते में हस्तक्षेप नहीं कर सकता है जो बैंक और उधारकर्ता के बीच बनाए रखा जा सकता है एवं अधिस्थगन की अवधि में प्रत्यक्ष वृद्धि या ऋण के

पुनर्भुगतान की अनुसूची भी तय नहीं कर सकता है।

### क्षेत्राधिकार

सीमित क्षेत्राधिकार - जब सीमित अधिकारिता वाले किसी प्राधिकरण या न्यायाधिकरण को शक्ति प्रदान की जाती है, तो उस प्रदत्त शक्ति को जारी रखना चाहिए, जब उस प्राधिकरण या न्यायाधिकरण द्वारा निर्णय दिया जाता है - एक बार प्रदान किए गए प्राधिकरण या शक्ति को छीन लिया जाता है या बाधित किया जाता है, तो प्राधिकरण या न्यायाधिकरण अब इसका प्रयोग नहीं कर सकता है।

### शब्द और वाक्यांश -

' झूठ ' - जिसके अर्थ की - चर्चा की गई।

लोकपाल - कौन है - चर्चा की गई।

तीसरा प्रतिवादी - बैंक ने पंद्रह लाख रुपये का ऋण अपीलार्थी को स्वीकृत किया। बैंक ने 11,58,750/- रुपये की राशि वितरित की। अपीलार्थी ने अतिरिक्त एडवांस की मांग की। इस प्रस्ताव को बैंक द्वारा स्वीकार नहीं किया गया। बैंक ने स्वीकृत मूल ऋण में से 3,41,250/- रुपये क्रेडिट करने के बाद ऋण वापस ले लिया।

अपीलार्थी ने बैंकिंग लोकपाल योजना, 1995 का खंड 16 के तहत बैंकिंग लोकपाल के समक्ष शिकायत की, यह आक्षेप किया कि उसके खाते से अनधिकृत/धोखाधड़ी से निकासी की गई है और आय का जमा नहीं की गई है। प्रत्यर्थी - बैंक ने बैंकिंग लोकपाल के ऐसी शिकायत पर विचार करने के अधिकार क्षेत्र पर सवाल उठाया।

1.11.2000 को, प्रत्यर्थी - बैंक ने कथित देय राशियों की वसूली के लिए ऋण वसूली न्यायाधिकरण से संपर्क किया अपीलार्थी से न्यायाधिकरण। बैंकिंग लोकपाल के समक्ष, बैंक ने तर्क दिया कि ऋण वसूली न्यायाधिकरण के समक्ष कार्यवाहियों के लंबित होने और अन्यथा भी, अपीलार्थी द्वारा उठाए गए दावे बैंकिंग लोकपाल योजना, 1995 के तहत बैंकिंग लोकपाल के दायरे में नहीं आने के कारण उसके समक्ष अपील की पोषणीयता समाप्त हो गई थी। बैंकिंग लोकपाल ने इन दलीलों को दरकिनारा कर दिया और 3,41,250/- रुपये की राशि शिकायतकर्ता को वितरण का निर्देश देते हुए एक अवार्ड पारित किया और बैंक को भारतीय स्टेट बैंक के संबंधित प्रकोष्ठ की सिफारिशों के संदर्भ में बैंक और शिकायतकर्ता के बीच 75:25 के वित्तपोषण अनुपात को बनाए रखते हुए आगे की अग्रिम राशि देने का निर्देश दिया गया।

अपीलार्थी ने पाया कि प्रत्यर्थी-बैंक लोकपाल के अवार्ड में दिए गए निर्देशों की पालना नहीं कर रहा था, जिस कारण मेण्डमस की रिट जारी

करने के लिए उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिका दायर की। प्रत्यर्थी-बैंक ने बैंकिंग लोकपाल के फैसले को इस आधार पर चुनौती देते हुए रिट याचिका भी दायर की कि यह क्षेत्राधिकार से बाहर था। उच्च न्यायालय ने प्रत्यर्थी-बैंक की रिट याचिका को यह कहते हुए स्वीकार कर लिया कि प्रत्यर्थी-बैंक द्वारा ऋण वसूली न्यायाधिकरण के समक्ष दायर किए गए दावे पर, अपीलार्थी की शिकायत पर विचार करने के लिए बैंकिंग लोकपाल का क्षेत्राधिकार समाप्त हो गया था और आगे इस आधार पर कि बैंकिंग लोकपाल ने अवार्ड देने में अपने क्षेत्राधिकार का उल्लंघन किया था, क्योंकि उठाए गए विवाद उनके दायरे से बाहर थे।

इन अपीलों में विचार के लिए प्रश्न यह है कि क्या ऋण वसूली न्यायाधिकरण के समक्ष बैंक द्वारा पश्चात्वर्ती दावा दायर करने के बाद उसके समक्ष पहले दर्ज की गई शिकायत में बैंकिंग लोकपाल का क्षेत्राधिकार वर्जित हो जाएगा और क्या अपीलार्थी द्वारा अपनी शिकायत में बैंकिंग लोकपाल के समक्ष रखे गए दावे योजना के तहत लोकपाल के क्षेत्राधिकार में आते हैं और इसके परिणामस्वरूप क्या उसके द्वारा जारी किए गए निर्देश योजना के तहत उसके क्षेत्राधिकार में थे।

याचिका खारिज करते हुए कोर्ट ने कहा,

अभिनिर्धारित 1. जब अपीलार्थी ने बैंकिंग लोकपाल के क्षेत्राधिकार का उपयोग किया, प्रत्यर्थी-बैंक ऋण संव्यवहार के संबंध में शेष रकमों की

वसूली के लिए ऋण वसूल न्यायाधिकरण के समक्ष नहीं गये थे। अतः यह ऐसा प्रकरण था, जिसमें शिकायत दर्ज किये जाने की दिनांक पर न्यायाधिकरण के समक्ष विषय वस्तु के संदर्भ में ऐसी कोई याचिका लंबित नहीं थी, जिसमें अंतिम आदेश पारित किया हो अथवा निर्णय दिया गया हो। प्रारंभ करने के प्रक्रम पर शिकायत को लेने के लिए अथवा उसके साथ आगे बढ़ने के लिए लोकपाल के समक्ष कोई अवरोध नहीं था। अवरोध यदि कोई हो, तो वह ऋण वसूली न्यायाधिकरण के समक्ष बैंक द्वारा बाद में ओ. ए. दर्ज करने के कारण हुआ था। [ पैरा 9] [1085-एफ-जी]

2.1. योजना के खंड 16 (3) में कहा गया है, "बैंकिंग लोकपाल के समक्ष कोई शिकायत अवस्थित नहीं होगी" ब्लैक लॉ डिक्शनरी के अनुसार "अवस्थित होने" का अर्थ है, "कानून में आधार होना; कानूनी रूप से समर्थनीय, टिकाऊ या उचित होना।" योजना के अनुसार लोकपाल को प्रदत्त की गई शक्ति के एक प्रसंग के संदर्भ में साथ ही बैंकिंग विनियमन अधिनियम की धारा 35 ए के प्रकाश में उक्त अभिव्यक्ति को इस अर्थ में समझना उचित है कि कानून में आधार होना अर्थात् दावे का कानूनी आधार होना चाहिए। एक बैंकिंग लोकपाल के पास, हालांकि शुरू में इस आधार पर शिकायत पर विचार करने का क्षेत्राधिकार हो सकता है कि इसका एक कानूनी आधार है, यहाँ योजना के संदर्भ में, उसे उस क्षेत्राधिकार से वंचित किया जा सकता है या पक्षकार द्वारा न्यायालय,

मध्यस्थ या ऋण वसूली न्यायाधिकरण कानून में समान आधारों पर जाने के कारण लोकपाल अपने विधि में प्रदत्त आधार को खो सकता है। [पैरा 10] [1086-डी-ई]

लक्ष्मी रतन इंजीनियरिंग वर्क्स लिमिटेड बनाम. अस्टेट. कॉम. सेल्स टेक्स कानपुर एवं अन्य, [1968]1 एस.सी.आर.505 और हिंदुस्तान कमर्शियल बैंक लिमिटेड बनाम पुन्नू साहू (मृत) कानूनी प्रतिनिधियों के माध्यम से, [1971]3 एस.सी.सी.124, संदर्भित।

2.2. शिकायत का उस समय भी कानूनी आधार बना रहना चाहिए जब लोकपाल अपने विचार के लिए लेता है और अपना निर्णय या अवाई देता है। जब शिकायत किसी न्यायालय, मध्यस्थ, न्यायाधिकरण या किसी अन्य सक्षम मंच को उसी विषय पर स्थानांतरित किया जाता है तो कानूनी आधार समाप्त हो जाता है। जब शिकायत की विषय वस्तु को किसी अन्य सक्षम फोरम के समक्ष ले जाया जाता है तब शिकायत कानून में अपनी नींव खो देती है। [ पैरा 10] [1086-एच; 1087-ए]

3.1. लोकपाल योजना के तहत गठित सीमित अधिकार क्षेत्र का एक प्राधिकरण या न्यायाधिकरण है। यह योजना द्वारा प्रदत्त क्षेत्राधिकार है। लोकपाल द्वारा क्षेत्राधिकार या शक्ति का प्रयोग न केवल एक दावे को आरंभ करने के क्षेत्राधिकार पर, बल्कि उसमें अंतिम आदेश पारित करने के क्षेत्राधिकार पर भी निर्भर करता है। उनके द्वारा शक्ति का निरंतर प्रयोग

उनके क्षेत्राधिकार में बने रहने पर निर्भर करेगा। एक बार जब वह विषय वस्तु पर अपने क्षेत्राधिकार से वंचित हो जाता है या वंचित कर दिया जाता है, तो वह उस शिकायत के साथ आगे नहीं बढ़ सके जो पहले दायर की गई थी। लोकपाल द्वारा दी जा सकने वाली राहत सीमित है और योजना के खंड 13 के भीतर आने वाले मामलों तक ही सीमित है। खंड 16 (3) (डी) को शामिल करने के पीछे की मंशा यह सुनिश्चित करना है कि एक लोकपाल जो राहत दे सकता है, वह किसी न्यायालय, मध्यस्थ, न्यायाधिकरण या अधिक व्यापक मंच द्वारा दिये गये निर्णय के साथ विरोधाभासी न हो। जब किसी सीमित क्षेत्राधिकार वाले प्राधिकरण या न्यायाधिकरण को कोई शक्ति प्रदान की जाती है, तो निर्णय दिये जाने के बाद भी प्रदत्त शक्ति का अस्तित्व बना रहना चाहिए। जब एक बार प्रदत्त प्राधिकरण या शक्ति को छीन लिया जाता है या बाधित किया जाता है, तो प्राधिकरण या न्यायाधिकरण शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकता है। ऐसा नहीं है कि अधिकार क्षेत्र का प्रतिबंध केवल शुरू में किसी दावे को स्वीकार करने के स्तर पर ही हो सकता है। यह बाद के चरण में भी हो सकता है या तो अधिकार क्षेत्र को छीनने या प्रारंभिक अधिकार क्षेत्र प्रदान करने वाले विधान, नियम या योजना द्वारा बनाई गई किसी अन्य बाधा को देखते हुए। इस प्रकार योजना के खंड 16 (3) (डी) को देखते हुए शिकायत पर अपना अधिकार क्षेत्र खोने के बाद, लोकपाल को शिकायत पर कोई आदेश या पुरस्कार पारित करने के क्षेत्राधिकार को अस्वीकार करना होगा।

**3.2.** अवधारणात्मक रूप से, एक लोकपाल केवल एक गैर-विरोधी निर्णायक होता है। परिभाषा के अनुसार लोकपाल केवल एक अधिकारी होता है जिसे सरकार के बारे में नागरिकों की शिकायतों को प्राप्त करने, जांच करने और रिपोर्ट करने के लिए नियुक्त किया जाता है; एक गैर-सरकारी संगठन में इसी तरह की नियुक्ति। वह विशेष रूप से नागरिकों और सरकारी एजेंसियों के बीच विवादों को हल करने के लिए विरोधात्मक/प्रतिकूल प्रणाली के विकल्प के रूप में कार्य करता है। वह एक स्वतंत्र और गैर-पक्षपाती अधिकारी हैं जो प्रशासनिक अन्याय और कुशासन के खिलाफ जनता की विशिष्ट शिकायतों से निपटते हैं। इसलिए, अपनी प्रकृति से, एक लोकपाल विवादों के समाधान के लिए विरोधी प्रणाली का एक विकल्प है, जब योजना के तहत लोकपाल के समक्ष शिकायत की विषय वस्तु को न्यायालय, न्यायाधिकरण, मध्यस्थ या अन्य सक्षम मंच पर ले जाया जाता है, तो विषय वस्तु को लोकपाल के दायरे से हटाकर प्रतिकूल प्रणाली के तहत एक मंच के समक्ष ले जाया जाता। लोकपाल को विरोधी न्यायनिर्णायक के रूप में गठित करते हुये बैंकिंग विनियमन अधिनियम, **1949** या बैंकिंग लोकपाल योजना **1995** में परिभाषित नहीं किया गया है। योजना का खंड **12** उसे शिकायत के संबंध में संतुष्टि लाने के लिए प्रदान किये गये प्रणालियों के माध्यम से सहायक के रूप में गठित करता है। एक विरोधात्मक निर्णयन अनिवार्य रूप से लोकपाल द्वारा किये गये निर्णय की तुलना में उच्च स्तर पर होता है। जब विवादों के विरोधात्मक निर्णयन के



लिए ऐसा मंच शिकायत के विषय को अपने हाथ में लेता है, तो योजना के खंड 16 की व्याख्या पर यह अभिनिर्धारित करना तर्कसंगत होगा कि लोकपाल शिकायत के विषय पर अपनी अधिकारिता खो देता है और परिणामस्वरूप स्वयं शिकायत को भी खो देता है।

यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, कलकत्ता बनाम. अभिजीत टी कंपनी प्रा. लिमिटेड एवं अन्य [2000] सप. 3 एस. सी. आर. 153 और भारतीय स्टेट बैंक बनाम रंजन केमिकल्स लिमिटेड एवं अन्य, [ 2007 ] 1 एस. सी. आर. 97, पर आधारित

ब्लैक लॉज डिक्शनरी; 4 अमेरिकी न्यायशास्त्र 2 डी, संदर्भित।

4. योजना के खंड 13 (बी) लोकपाल के क्षेत्राधिकार को इंगित करता है। खंड (ख) में प्रावधान है कि वह ऋणों और एडवांसेस से संबंधित शिकायतों पर केवल तभी विचार कर सकता है जब वे ब्याज दरों पर भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशों का पालन न करने, ऋण आवेदनों के निपटारे के लिए निर्धारित समय-सारणी के अनुमोदन में देरी/पालन न करने और भारतीय रिजर्व बैंक के किसी अन्य निर्देश या निर्देशों का पालन न करने से संबंधित हों, जो समय-समय पर योजना के उद्देश्य के लिए निर्दिष्ट किए जाएं। यह देखा गया है, जैसा कि उच्च न्यायालय ने पाया है कि ऐसा कोई दावा नहीं था कि प्रत्यर्थी-बैंक ब्याज दरों पर भारतीय रिजर्व बैंक के किसी भी निर्देश का पालन न करने का दोषी था। ऐसा भी कोई

मामला नहीं है कि इस उद्देश्य के लिए भारतीय रिजर्व बैंक का कोई अन्य आदेश या निर्देश का प्रतिवादी-बैंक द्वारा पालन नहीं किया गया था। अधिकतम, अपीलार्थी यह दावा कर सकता है कि वह अतिरिक्त वित्त के लिए अपने ऋण आवेदन के निपटारे के लिए निर्धारित समय अनुसूची का पालन/संक्शन में देरी की शिकायत कर रहा था। प्रत्यर्थी-बैंक का मामला यह है कि अपीलार्थी बैंक से जिस प्रकार से ऋण का दावा कर रहा था, उस प्रकार के ऋण की सीमा बढ़ाने या होटल इण्डस्ट्रीज को अतिरिक्त लोन देने के लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गई थी एवं इस कारण से अपीलार्थी के किसी भी शिकायत का बैंकिंग लोकपाल के क्षेत्राधिकार में आने का प्रश्न नहीं उठता है। बैंकिंग लोकपाल के अवार्ड को पढ़ने से पता चलता है कि अस्वीकृत किये गये पंद्रह लाख रूपए के मूल ऋण में से **3,41,250/-** रुपये का शेष अमाउंट जारी किये जाने हेतु दिये गये निर्देश, कमिटी के सुझाव मात्र पर अतिरिक्त कोष मुहईया कराने के बैंक को दिये गये आदेश एवं **75:25** के वित्तपोषण अनुपात को बनाये रखने के लोकपाल के आदेश एवं उसकी पुनर्भुगतान अनुसूची को सात वर्ष के रूप में निर्धारित किये जाने जिसमें एक वर्ष की मोहलत और प्रत्यर्थी-बैंक द्वारा ऋण राशि का वितरण न करने के परिणामस्वरूप मोहलत में वृद्धि शामिल नहीं थी, सभी योजना के खंड **13 (बी)** और परिणामस्वरूप बैंकिंग लोकपाल के क्षेत्राधिकार के बाहर हैं। बैंकिंग लोकपाल के पास बैंक को एेसे अग्रिम एडवांसेस जारी करने के लिए मजबूर करने का कोई अधिकार नहीं है,

जिससे एक विवेकपूर्ण बैंकर संगत नहीं पाता हो। न ही बैंकिंग लोकपाल पुनर्भुगतान की समय सीमा संबंधी पक्षकारों के समझौते अथवा बैंक एवं ऋणी के वित्तपोषण अनुपात में हस्तक्षेप कर सकता है न ही बैंकिंग लोकपाल अधिस्थगन की अवधि में वृद्धि कर सकता है न ही ऋण अदायगी के लिए समय सीमा नियत कर सकता है। यह आक्षेप नहीं है कि इन विषयों से संबंधित भारतीय रिजर्व बैंक के किसी भी निर्देशों का प्रत्यर्थी बैंक द्वारा उल्लंघन किया गया हो। उच्च न्यायालय यह पाने में सही था कि बैंकिंग लोकपाल द्वारा अवार्ड पारित करके अपने क्षेत्राधिकार को पार कर लिया। इनमें से कोई भी निर्देश योजना के खंड 13 (बी) के दायरे में नहीं आता है। इस योजना के खंड 13 द्वारा बैंकिंग लोकपाल का अधिकार क्षेत्र को सीमित किया गया। इसलिए, किसी भी स्थिति में, बैंकिंग लोकपाल द्वारा जारी किए गए निर्देश उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर हैं।

सिविल अपीलिय क्षेत्राधिकार 2007 की सिविल अपील सं. 1389

2004 की एल. पी. ए. सं. 309 एवं 2004 की 313 में पटना उच्च न्यायालय के 23.11.2004 दिनांकित निर्णय और आदेश से

रंजीत कुमार, रुद्रेश्वर सिंह, कौशिक पोद्दार, कुमार रंजन और संजय जैन अपीलार्थी के लिए।

आर. सुदरवरदन, आर. एन. त्रिवेदी, आर. एन. केशवानी, राम लाल

रॉय, एच. एस. परिहार और कुलदिप परिहार उत्तरदाताओं के लिए।

न्यायालय का निर्णय निम्न के द्वारा दिया गया था

पी. के. बालासुब्रमण्यन, जे. लीव मंजूर।

1. अपीलार्थी, एक साझेदारी फर्म, ने तृतीय प्रत्यर्थी-बैंक से होटल स्थापित करने के लिए से ऋण मांगा। अप्रैल 1997 में, 15 लाख रूपयों का ऋण बैंक द्वारा स्वीकृत किया गया था। बैंक ने 11,58,750/- रुपये की राशि वितरित की। अपीलार्थी ने अतिरिक्त एडवांस की मांग की। इस प्रस्ताव को बैंक द्वारा स्वीकार नहीं किया गया था। स्वीकृत मूल ऋण में से 3,41,250/- रुपये क्रेडिट करने के बाद बैंक ने ऋण वापस ले लिया।

2. अपीलार्थी ने बैंकिंग लोकपाल योजना, 1995 के खंड 16 के तहत बिहार राज्य में पटना में स्थित बैंकिंग लोकपाल के समक्ष शिकायत की। खंड 16 ने किसी भी व्यक्ति को, जिसकी बैंक के खिलाफ शिकायत थी, बैंकिंग लोकपाल को लिखित रूप में शिकायत करने में सक्षम बनाया। शिकायत लिखित रूप में होनी चाहिए थी और इसके साथ सहायक दस्तावेज, यदि कोई हो, जिन पर शिकायतकर्ता द्वारा भरोसा किया गया हो संलग्न किया जाना था। उसे शिकायतकर्ता को हुए नुकसान की प्रकृति और सीमा भी दर्शानी थी और बैंकिंग लोकपाल से वांछित अनुतोष एवं उस खंड में निर्दिष्ट शर्तों के अनुपालन के बारे में एक बयान भी देना

था। अपीलार्थी ने शिकायत की, जिसे उसने अपीलार्थी के खाते से अनधिकृत या धोखाधड़ी से निकासी और अपीलार्थी के खाते में आय का जमा न होना कहा। यह तर्क दिया गया था कि रुपए 3,41,250/- का जमा करना या उसे अपीलार्थी के खाते से वापस लेना, अनधिकृत था, और यह कि प्रत्यर्थी बैंक द्वारा लोन जारी करने में कारित विलंब से एवं बैंक पर बाध्यकारी टेकनिकल प्रकोष्ठ रिपोर्ट में अनुशंसित उच्च क्रेडिट फैसिलिटी प्रदान नहीं करने से अपीलार्थी काफी नुकसान हुआ। राहत के रूप में यह दावा किया गया कि बैंक को शेष स्वीकृत ऋण को अपीलार्थी के खाते में जमा करना चाहिए। कुल ब्याज। इस अवधि के कुल ब्याज पर छूट दी जानी चाहिए और अपीलार्थी के नुकसान के लिए 16.9 लाख रुपये की राशि का भुगतान करने का निर्देश होना चाहिए। प्रत्यर्थी-बैंक ने शिकायत का विरोध किया। प्रत्यर्थी-बैंक ने इस तरह की शिकायत पर विचार करने के लिए बैंकिंग लोकपाल के क्षेत्राधिकार पर प्रश्न उठाया। उसने तर्क दिया कि बैंकिंग लोकपाल का क्षेत्राधिकार निर्दिष्ट कुछ मामलों तक ही सीमित था और अपीलार्थी के दावे बैंकिंग लोकपाल के दायरे में नहीं थे।

3. 1.11.2000 को, प्रत्यर्थी-बैंक अपीलार्थी से कथित रूप से देय राशियों की वसूली के लिए बैंकों और वित्तीय संस्थानों के देय ऋणों की वसूली अधिनियम, 1993 (संक्षेप में, "ऋणों की वसूली अधिनियम") के तहत ऋण वसूली न्यायाधिकरण के समक्ष गया। बैंक की शिकायत को

2000 के ओ. ए. सं. 157 के रूप में क्रमांकित किया गया था और उस पर न्यायाधिकरण द्वारा विचार किया जा रहा था।

4. बैंकिंग लोकपाल के समक्ष, बैंक ने अन्य बातों के साथ-साथ तर्क दिया कि ऋण वसूली न्यायाधिकरण के समक्ष कार्यवाहियों के लंबित रहने के कारण अपीलार्थी की शिकायत उसके समक्ष विचारणीय नहीं रह गई थी और अन्यथा भी, अपीलार्थी द्वारा किए गए दावे बैंकिंग लोकपाल योजना, 1995 के तहत बैंकिंग लोकपाल के दायरे में नहीं आते थे। यह तर्क दिया गया था कि बैंकिंग लोकपाल का क्षेत्राधिकार सीमित था और अपीलार्थी के दावे ऐसे नहीं थे जिन पर वह विचार कर सके। बैंकिंग लोकपाल ने इन दलीलों को दरकिनार कर दिया। उन्होंने पाया कि प्रत्यर्थी-बैंक द्वारा ऋण वसूली न्यायाधिकरण के समक्ष दावा प्रस्तुत किये जाने से पूर्व अपीलार्थी द्वारा लोकपाल के क्षेत्राधिकार के समक्ष आ गया था और इस कारण से लोकपाल अपीलार्थी की शिकायत का निर्णयन करने से बाधित नहीं था। उनके द्वारा प्रत्यर्थी के इस आक्षेप का भी दरकिनार कर दिया गया कि लोकपाल के पास अपीलार्थी द्वारा कुछ सुझाव अथवा अनुशंसाएं भी दी गईं। ये बैंक को स्वीकार्य नहीं थीं। तदुपरांत बैंकिंग लोकपाल ने 3,41,250/- रुपये की राशि शिकायतकर्ता को वितरित करने के आदेश का अवार्ड जारी किया गया और 3,41,250/- रुपये की राशि शिकायतकर्ता को वितरण का निर्देश देते हुए एक अवार्ड पारित किया और बैंक को भारतीय स्टेट बैंक के

संबंधित प्रकोष्ठ की सिफारिशों के संदर्भ में बैंक और शिकायतकर्ता के बीच 75:25 के वित्तपोषण अनुपात को बनाए रखते हुए आगे की अग्रिम राशि देने का निर्देश दिया गया। बैंकिंग लोकपाल द्वारा यह भी आदेश दिया गया कि पुनर्भुगतान की समय सीमा सात साल की होनी चाहिये, जिसमें अधिस्थगन का एक साल सम्मिलित नहीं होगा और ऋण विवरण नहीं होने की स्थिति में अधिस्थगन की अवधि में नियमानुसार वृद्धि होनी चाहिए और भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा-निर्देशों की कड़ी पालना में ब्याज वसूला जाना चाहिये। यह अवार्ड दिनांक 30-03-2002 को पारित किया गया था।

5. प्रत्यर्थी-बैंक ने बैंकिंग लोकपाल द्वारा पारित अवार्ड को अदालत में चुनौती देने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक से अनुमति मांगी। इस बीच, अपीलार्थी ने पाया कि प्रत्यर्थी-बैंक बैंकिंग लोकपाल के अवार्ड में दिए गए निर्देशों का पालन नहीं कर रहा था। इसलिए अपीलार्थी ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत पटना उच्च न्यायालय के समक्ष 2002 का C.W.J.C. संख्या 10756 दायर किया, जिसमें प्रत्यर्थी-बैंक को बैंकिंग लोकपाल के अवार्ड को लागू करने का निर्देश देने के लिए अनिवार्य रिट मेण्डेमस जारी करने का अनुरोध किया गया था। प्रत्यर्थी-बैंक ने इसके बदले में बैंकिंग लोकपाल के अवार्ड को अनिवार्य रूप से इस आधार पर चुनौती देते हुए 2003 का सी.डब्ल्यू.जे.सी. 1882 दायर किया कि यह

क्षेत्राधिकार के बिना था, इस आधार पर कि मामला ऋण वसूली न्यायाधिकरण के समक्ष लंबित था जब उन्होंने अपना अवाई दिया था और आगे इस आधार पर भी कि वर्तमान मामले में उनके द्वारा निर्णय का विषय बैंकिंग लोकपाल योजना, 1995 के तहत उनके क्षेत्राधिकार से बाहर था। उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश ने प्रत्यर्थी-बैंक की दलीलों को सही ठहराया और यह अभिनिर्धारित किया कि प्रत्यर्थी बैंक द्वारा ऋण वसूली न्यायाधीकरण के समक्ष दायर किए जा रहे दावे 2000 के ओ. ए. सं. 157 पर अपीलार्थी की शिकायत से निपटने के लिए बैंकिंग लोकपाल की अधिकारिता समाप्त हो गई थी और आगे इस आधार पर कि बैंकिंग लोकपाल ने अवाई देने में अपने क्षेत्राधिकार को पार कर लिया था क्योंकि उठाए गए विवाद उसके दायरे से बाहर थे। परिणामस्वरूप, विद्वान एकल न्यायाधीश ने प्रत्यर्थी-बैंक द्वारा दायर रिट याचिका को स्वीकार कर लिया और बैंकिंग लोकपाल द्वारा पारित अवाई को रद्द कर दिया और अपीलार्थी को ऋण वसूली न्यायाधिकरण के समक्ष अपने सभी दावों को काउंटर क्लेम के माध्यम से उठाने के लिए अनुमति दे दी। परिणामस्वरूप, उच्च न्यायालय ने रिट याचिका को भी खारिज कर दिया, जिसमें अपीलार्थी द्वारा बैंकिंग लोकपाल के निर्णय को लागू करने की मांग की गई थी। विद्वान एकल न्यायाधीश के निर्णय से व्यथित होकर, अपीलार्थी द्वारा उच्च न्यायालय में 2004 की एल. पी. ए. सं. 309 व 313 के रूप में दो लेटर्स पेटेंट अपील दायर की। उच्च न्यायालय की खंड पीठ विद्वान एकल



न्यायाधीश के निष्कर्षों से सहमत हो गई और अपीलार्थी द्वारा दायर अपीलों को खारिज कर दिया। इससे व्यथित महसूस करते हुए, अपीलार्थी ने इस न्यायालय के समक्ष अपील करने के लिए विशेष अनुमति के लिए ये याचिकाएं दायर कीं। 10-05-2005 को, इस न्यायालय ने अपने दावे के गुणावगुण पर अपीलार्थी की याचिका पर विचार नहीं करते हुए, मामले में उत्पन्न होने वाले कानून के प्रश्नों तक ही सीमित नोटिस जारी किया, साथ ही स्पष्ट किया कि ऋण वसूली न्यायाधिकरण के समक्ष कार्यवाही आगे बढ़ सकती है। इस प्रकार, इस अपील में बैंकिंग लोकपाल के क्षेत्राधिकार का प्रश्न शामिल है और न कि मामले में अपीलार्थी के दावों के गुणावगुण विद्वान वकील ने भी इस न्यायालय द्वारा पहले जारी किए गए नोटिस के अनुरूप हमारे समक्ष अपील पर तर्क दिया।

6. इसलिए, जो दो सवाल उठते हैं, वे हैं, क्या ऋण वसूली न्यायाधिकरण के समक्ष बैंक द्वारा पश्चातवर्ती दावा दायर करने से पहले की गई शिकायत से बैंकिंग लोकपाल के क्षेत्राधिकार वर्जित हो जाएगा और क्या अपीलार्थी द्वारा अपनी शिकायत में बैंकिंग लोकपाल के समक्ष रखे गए दावे योजना के तहत लोकपाल के अधिकार क्षेत्र में आते हैं और इसके परिणामस्वरूप क्या उनके द्वारा जारी किए गए निर्देश योजना के तहत उनके प्रांत के भीतर थे।

7. इससे पहले कि हम तर्कों पर विचार के लिए आगे बढ़ें, हम

प्रासंगिक प्रावधानों पर ध्यान देंगे। बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35 ए के तहत, भारतीय रिजर्व बैंक के पास आम तौर पर या विशेष रूप से किसी भी बैंकिंग कंपनी को निर्देश जारी करने की शक्ति है, जैसा कि वह उचित समझता है और बैंकिंग कंपनियाँ ऐसे निर्देशों का पालन करने के लिए बाध्य होंगी। भारतीय रिजर्व बैंक अपने स्वयं के प्रस्ताव पर या उसे किए गए अभ्यावेदन पर भी पहले जारी किए गए किसी भी निर्देश को संशोधित या रद्द कर सकता है। इस शक्ति के अनुरूप, भारतीय रिजर्व बैंक ने 14.6.1995 को बैंकिंग लोकपाल योजना, 1995 अधिसूचित किया। हम यहाँ प्रासंगिक अधिसूचना निकालना लाभदायक समझते हैं:

### सूचना

रेफ. आर.सी.पी.सी. संख्या 1070/बी.ओ.एस.-94-95

14 जून, 1995

बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (1949 की 10) की धारा 35 ए द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए। रिजर्व बैंक का यह समाधान होते हुए कि यह जनहित में और बैंकिंग नीति के हित में ऋण और अडवानसिस और अन्य निर्दिष्ट मामले संबंधी बैंकिंग सेवाओं में कमी के खिलाफ शिकायतों के निवारण के लिए बैंकिंग लोकपाल की एक प्रणाली प्रदान करना आवश्यक है। एतद्वारा निर्देश देते हैं कि सभी यहां संलग्न की

गई बैंकिंग लोकपाल योजना, 1995 का पालन करना चाहिए।

एस.डी./-

(आर. वी. गुप्ता)

डिप्टी गवर्नर"

दिनांक 15.6.1995 की एक अधिसूचना द्वारा, इस योजना का विस्तार अनुसूचित प्राथमिक सहकारी बैंकों तक भी किया गया था। स्वीकृत रूप से, इस प्रकार अधिसूचित योजना प्रासंगिक समय पर लागू थी। खंड 2 के अनुसार, योजना का उद्देश्य बैंकिंग सेवाओं के प्रावधान से संबंधित शिकायतों के समाधान को सक्षम बनाना था और ऐसी शिकायतों की संतुष्टि या निपटान की सुविधा प्रदान करना। अध्याय II खंड 4 के अधीन भारतीय रिजर्व बैंक योजना द्वारा या उसके तहत सौंपे गए कार्यों को पूरा करने के लिए एक बैंकिंग लोकपाल नियुक्त कर सकता है। बैंकिंग लोकपाल को भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर प्लेजर पर पद संभालना था। अध्याय III बैंकिंग लोकपाल के क्षेत्राधिकार शक्तियों और दायित्वों से संबंधित है। खंड 12 में प्रावधान किया गया है कि बैंकिंग लोकपाल के पास बैंकिंग सेवाओं के प्रावधान से संबंधित शिकायतों को प्राप्त करने और ऐसी शिकायतों पर विचार करने और योजना के अनुसार एक सिफारिश या अवार्ड देकर उनकी संतुष्टि या समझौते द्वारा निपटान की सुविधा प्रदान करने की शक्ति और

कर्तव्य था। खंड 13 में निर्दिष्ट किया गया है कि बैंकिंग सेवाओं, बैंकिंग लोकपाल के प्राधिकरण में सेवा में कमी से संबंधित सभी शिकायतें शामिल होंगी जैसे कि भुगतान में गैर-भुगतान/चेक, ड्राफ्ट/बिल आदि के भुगतान या संग्रह में अत्यधिक देरी। अन्य कमियों जिन पर शिकायतों पर गौर किया जा सकता है, वे इस प्रकार हैं - खंड 13 के खंड (ii) से (ix) से उपखंड (a) तक। हम वर्तमान मामले में उनपर विचार नहीं कर रहे हैं। चूँकि हम ऋण और अडवांसेस के संबंध में एक शिकायत पर विचार कर रहे हैं, हम खंड 13 (बी) के विशेष संदर्भ के साथ खंड निकाल सकते हैं, जिसकी प्रासंगिकता है:

“13. प्राधिकार का विशेष अधिकार

जहां तक बैंकिंग सेवाओं का संबंध है, बैंकिंग लोकपाल का क्षेत्राधिकार में शामिल होगा:-

(अ) .....

(ख) ऋणों और अडवांसेस से संबंधित शिकायतें केवल जहां तक वे हैं इनसे संबंधित:

(i) ब्याज दरों पर रिजर्व बैंक के निर्देशों का पालन न करना,

(ii) मंजूरी में देरी/निर्धारित समय अनुसूची का पालन

न करना। ऋण आवेदनों के निपटान के लिए,

(iii) किसी अन्य निर्देश या निर्देशों का पालन न करना। जैसा कि इस उद्देश्य के लिए समय-समय पर रिजर्व बैंक द्वारा निर्दिष्ट किया जाता है।"

खंड 14 के तहत, बैंकिंग लोकपाल के पास अपने कार्यालय पर सामान्य अधीक्षण और नियंत्रण था और उसे अपने कार्यालय की ओर से खर्च करने की शक्ति थी। अध्याय IV में शिकायत निवारण की प्रक्रिया पर चर्चा की गई है। खंड 16 में शिकायत करने का प्रावधान किया गया है। चूँकि इसमें एक शिकायत पर लोकपाल की शक्ति के दायरे की व्याख्या शामिल है, इसलिए हम यहाँ खंड 16 को उल्लेखित करना उचित समझते हैं:

#### "16. शिकायत

(1) कोई भी व्यक्ति जिसे किसी बैंक के खिलाफ शिकायत है, वह स्वयं या एक अधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से लिखित में शिकायत करें बैंकिंग लोकपाल को, जिसके क्षेत्राधिकार में शाखा है या शिकायत किए गए बैंक का कार्यालय स्थित है।

(2) शिकायत लिखित रूप में शिकायतकर्ता या उसके

अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित होगी और स्पष्ट रूप से शिकायतकर्ता का नाम और पता बतायेगा, शिकायतकर्ता को हुए नुकसान और उनसे मांगी गई राहत बैंकिंग लोकपाल और इस खंड के उपखंड (3) में निर्दिष्ट शर्तों के अनुपालन के बारे में एक बयान।

(3) बैंकिंग लोकपाल को कोई शिकायत तब तक नहीं की जावेगी जब तक कि -

(ए) शिकायतकर्ता ने बैंकिंग को शिकायत करने से पहले लोकपाल को शिकायत में नामित बैंक को एक लिखित अभ्यावेदन दिया और या तो बैंक ने शिकायत को अस्वीकार कर दिया था या संबंधित बैंक द्वारा अपना प्रतिनिधित्व प्राप्त करने के दो महीने की अवधि के भीतर शिकायतकर्ता का कोई जवाब नहीं मिला या शिकायतकर्ता बैंक द्वारा दिए गए उत्तर से संतुष्ट नहीं है।

(बी) बैंक द्वारा अभ्यावेदन को अस्वीकार कर देने या शिकायतकर्ता का प्रतिनिधित्व पर अपना अंतिम जवाब भेज देने के एक साल के भीतर शिकायत दर्ज कर दी जाती है।

(सी) शिकायत उसी विषय वस्तु के संबंध में नहीं है जिसे

बैंकिंग लोकपाल के कार्यालय के माध्यम से किसी भी पिछली कार्यवाही में निपटाया गया था, चाहे वह उसी शिकायतकर्ता या विषयवस्तु से संबंधित किसी एक या अधिक पक्षों से प्राप्त हो।

(डी) शिकायत वह विषय वस्तु नहीं है, जिसके लिए किसी भी न्यायालय, न्यायाधिकरण या मध्यस्थ या किसी अन्य मंच के समक्ष कोई कार्यवाही लंबित है या ऐसे किसी न्यायालय, न्यायाधिकरण, मध्यस्थ या फोरम द्वारा पहले ही डिक्री, अर्वाइड या खारिज आदेश पारित किया जा चुका है।

(ई) शिकायत तुच्छ या परेशान करने वाली प्रकृति की नहीं है।"

8. जहां तक इस बात का संबंध है कि क्या बैंकिंग लोकपाल ने प्रत्यर्थी-बैंक द्वारा ऋण वसूली न्यायाधिकरण के समक्ष किए गए कदम को देखते हुए अपना अधिकार क्षेत्र खो दिया था, जो प्रासंगिक है वह खंड 16

(3) (डी) उपर उद्धृत है और इस सवाल के संबंध में कि क्या बैंकिंग लोकपाल को अपीलार्थी द्वारा किए गए दावों को स्वीकार करने का क्षेत्राधिकार था, में ऊपर उद्धृत खंड 13 (बी) के दायरे का ज्ञान शामिल है।

9. यह स्पष्ट है कि जब अपीलार्थी ने बैंकिंग लोकपाल ने क्षेत्राधिकार

का प्रयोग किया प्रत्यर्थी-बैंक ने ऋण लेनदेन के तहत देय राशि की वसूली के लिए अपने आवेदन के साथ ऋण वसूली न्यायाधिकरण से संपर्क नहीं किया था। इसलिए, यह एक ऐसा मामला था जिसमें जिस दिन शिकायत दायर की गई थी, उस विषय पर किसी भी न्यायाधिकरण के समक्ष कोई कार्यवाही लंबित नहीं थी या जिसमें अंतिमआदेश पारित किया गया था या निर्णय दिया गया था। आरंभिक स्तर पर शिकायत पर विचार करने या उसके साथ आगे बढ़ने के मार्ग में कोई बाधा नहीं थी। बाधा, यदि कोई हो, बैंक द्वारा बाद में 2000 की ऋण वसूली न्यायाधिकरण के समक्ष ओ. ए. नं. 157 दाखिल करने के कारण हुई थी। उच्च न्यायालय ने यह विचार व्यक्त किया है कि जब लोकपाल ने अपना फैसला सुनाया है, तब बैंक पहले ही ऋण वसूली न्यायाधिकरण से अपने दावे के साथ संपर्क कर चुका था एवं बैंकिंग लोकपाल के पास अवार्ड पारित करने का क्षेत्राधिकार उपलब्ध नहीं था अथवा वह क्षेत्राधिकार खो चुका था। उपखंड (1) में योजना के खंड 16 में बैंकिंग लोकपाल में शिकायत करने वाले व्यक्ति के बारे में बताया गया है - उपखंड (डी) के संयोजन में पढ़ा गया खंड (3) इंगित करता है कि बैंकिंग लोकपाल को कोई शिकायत नहीं होगी यदि लोकपाल के समक्ष रखे गए विषय पर, किसी न्यायालय, मध्यस्थ, न्यायाधिकरण या मंच के समक्ष कोई कार्यवाही लंबित है या कोई डिक्री है। या अंतिम निर्णय पहले उनमें से किसी एक द्वारा किया गया था। इसका मतलब यह होगा कि वर्जन केवल तभी आकर्षित होता है जब दाखिल करने की तारीख को



लोकपाल के समक्ष शिकायत, इस विषय पर एक दावा ऋण वसूली न्यायाधिकरण के समक्ष लंबित है। स्वीकृत रूप से जिस दिन बैंकिंग लोकपाल के अधिकार क्षेत्र को लागू किया गया था, उस दिन ऐसा कोई दावा किसी भी न्यायालय, मध्यस्थ, ऋण वसूली न्यायाधिकरण या किसी अन्य मंच के समक्ष नहीं किया गया था। उस हद तक, प्रथम दृष्टया, इस तर्क में योग्यता है कि खंड 16 (3) को मामले की ओर आकर्षित नहीं किया जा सकता है

10. योजना के खंड 16 (3) में कहा गया है, "बैंकिंग लोकपाल के समक्ष कोई शिकायत अवस्थित होगी।" ब्लैक लॉ डिक्शनरी के अनुसार "अवस्थित होने" का अर्थ है, "कानून में आधार होना; कानूनी रूप से समर्थनीय, टिकाऊ या उचित होना"। योजना के अनुसार लोकपाल को प्रदत्त की गई शक्ति के एक प्रसंग के संदर्भ में साथ ही बैंकिंग विनियमन अधिनियम की धारा 35 ए के प्रकाश में उक्त अभिव्यक्ति को इस अर्थ में समझना उचित है कि कानून में आधार होना अर्थात् दावे का कानूनी आधार होना चाहिए। एक बैंकिंग लोकपाल के पास, हालांकि शुरू में इस आधार पर शिकायत पर विचार करने का क्षेत्राधिकार हो सकता है कि इसका एक कानूनी आधार है, यहाँ योजना के संदर्भ में, उसे उस क्षेत्राधिकार से वंचित किया जा सकता है या पक्षकार द्वारा न्यायालय, मध्यस्थ या ऋण वसूली न्यायाधिकरण कानून में समान आधारों पर जाने

के कारण लोकपाल अपने विधिमें प्रदत्त आधार को खो सकता है।"विचार करने" के शब्द को इस न्यायालय ने लक्ष्मी रतन इंजीनियरिंग वर्क्स लिमिटेड बनाम. अस्स्टेट कॉम. बिक्री कर, कानपुर और अन्य [1968] 1 एस. सी. आर. 505 में देखते हुए कहा कि इसका अर्थ है विचार से निपटना या विचार के लिये स्वीकार करना। न्यायालय ने कुछ उच्च न्यायालयों द्वारा व्यक्त किए गए विचारों को मंजूरी दी पर कहा कि "विचार करने" का अर्थ 'प्राप्त करना' या 'स्वीकार करना' नहीं है, बल्कि गुणावगुण पर विचार करने के लिए आगे बढ़ना या उस पर "निर्णय लेने के लिये स्वीकार करना" है। न्यायालय ने शब्दकोष के अर्थ को 'विचार करने के लिए स्वीकार करना' के अर्थ को भी स्वीकार किया। यही वह दृष्टिकोण भी था जो बाद में इस न्यायालय द्वारा हिंदुस्तान कमर्शियल बैंक लिमिटेड बनाम पुन्नू साहू (मृत) कानूनी प्रतिनिधियों के माध्यम से, [1971] 3 एससी. सी. 124. में लिया गया था। इसमें यह माना गया था कि संहिता के ऑर्डर XXI नियम 90 में "विचार करना" शब्द का अर्थ था, 'निर्णय लेना' या 'गुण-दोष पर विचार करने के लिए आगे बढ़ना' और न कि केवल 'कार्यवाही की शुरुआत'। एक उपमा देते हुए, यह कहना संभव है कि जिस समय लोकपाल अपने विचार और निर्णय या पुरस्कार के लिये दावे को लेता है, उस समय शिकायत का कानूनी आधार बना रहना चाहिए और नींव तब खो जाएगी जब एक अदालत, मध्यस्थ, न्यायाधिकरण या किसी अन्य सक्षम मंच के समक्ष उसी शिकायत को ले जाया जाता है। जब

शिकायत के विषय वस्तु को किसी अन्य सक्षम मंच पर ले जाया जाता है, तो शिकायत कानूनी आधार खो देती है। दूसरे शब्दों में, शिकायत का विषय किसी अन्य न्यायाधिकरण, या न्यायालय या मध्यस्थ के समक्ष न केवल जब इसे दायर किये जाने के समय, बल्कि उसके विचार और निपटान के समय भी लंबित नहीं होना चाहिए।

11. एक अधिक मूलभूत पहलू है। लोकपाल अधिकतम योजना के तहत गठित सीमित क्षेत्राधिकार का प्राधिकरण या न्यायाधिकरण है। यह योजना द्वारा प्रदत्त क्षेत्राधिकार है। लोकपाल द्वारा अधिकारिता या शक्ति का प्रयोग न केवल उसके किसी दावे को स्वीकार करने के लिए क्षेत्राधिकार पर निर्भर करेगी, परंतु उसका पूर्ण निस्तारण करने के क्षेत्राधिकार पर भी निर्भर करेगा। शक्तियों का निरंतर प्रयोग उसके निरंतर क्षेत्राधिकार होने पर निर्भर करेगा जब वह विषय वस्तु के संबंध में अपने क्षेत्राधिकार से वंचित हो जाता है या अपने क्षेत्राधिकार से वंचित कर दिया जाता है, तब वह एक शिकायत के साथ आगे नहीं बढ़ सका जो पहले दायर की गई थी। दूसरे शब्दों में, योजना के संदर्भ में एक पुरस्कार को वैध बनाने के लिए, लोकपाल को संबंधित शिकायत की विषय वस्तु पर क्षेत्राधिकार बनाये रखना चाहिए। एक शिकायत उसके दायरे से तब बाहर हो जाती है जब उसके विषय को अदालत, मध्यस्थ, न्यायाधिकरण या फोरम पर ले जाया जाता है। लोकपाल द्वारा दी जा सकने वाली राहत सीमित है। खंड 16 (3)

(डी) शामिल करने के पीछे का इरादा यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतीत होता है कि जो अनुतोष एक लोकपाल राहत दे सकता है वह न्यायालय, मध्यस्थ, न्यायाधिकरण या व्यापक शक्तियों वाले मंच द्वारा अधिक व्यापक निर्णय के साथ विरोधाभाषी न हो। जब सीमित अधिकारिता वाले प्राधिकरण या न्यायाधिकरण को कोई शक्ति प्रदान की जाती है तब, जब उस प्राधिकरण या न्यायाधिकरण द्वारा निर्णय दिये जाने के बाद भी शक्ति का अस्तित्व बना रहना चाहिए। एक बार जब प्रदत्त अधिकार या शक्ति को छीन लिया जाता है या बाधित किया जाता है, तब प्राधिकरण या न्यायाधिकरण अब इसका प्रयोग नहीं कर सकता है। यह वह स्थिति होगी जब लोकपाल के समक्ष शिकायत का एक पक्ष विषय वस्तु को किसी न्यायालय, मध्यस्थ, न्यायाधिकरण या फोरम के समक्ष ले जाएगा। दूसरे शब्दों में, जब अंततः वह अपने अवार्ड पारित करने वाला होता है एवं लोकपाल को पता चलता है कि विवाद के विषय को ऋण वसूली न्यायाधिकरण या दीवानी न्यायालय या मध्यस्थ या किसी अन्य सक्षम मंच पर ले जाया गया है तो, योजना के खंड 16 (3) (डी) के साथ खंड 16 (1) के सामंजस्यपूर्ण पठन पर वह अपनी अधिकारिता से वंचित हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि क्षेत्राधिकार का प्रतिबंध केवल शुरू में किसी दावे को स्वीकार करने के स्तर पर ही हो सकता है। यह बाद के चरण में भी हो सकता है, जब क्षेत्राधिकार ले लिया जाता है या फिर जब प्रारंभिक अधिकार क्षेत्र प्रदान करने वाले विधान, नियम या योजना द्वारा उत्पन्न

किसी अन्य बाधा के कारण। इस प्रकार योजना के खंड 16 (3) (डी) को ध्यान में रखते हुए शिकायत पर अपने क्षेत्राधिकार को खो देने पर लोकपाल को शिकायत पर कोई आदेश या पुरस्कार पारित करने के लिए क्षेत्राधिकार को अस्वीकार करना होगा। हम समझते हैं कि यह योजना के खंड 16 (3) (डी) द्वारा बनाए गए प्रतिबंध को समझने का उचित तरीका होगा।

12. अवधारणात्मक रूप से, एक लोकपाल केवल एक गैर-विरोधी निर्णायक होता है। परिभाषा के अनुसार लोकपाल केवल एक अधिकारी होता है जिसे सरकार के बारे में नागरिकों की शिकायतों को प्राप्त करने, जांच करने और रिपोर्ट करने के लिए नियुक्त किया जाता है; एक गैर-सरकारी संगठन में इसी तरह की नियुक्ति (कंपनी या विश्वविद्यालय की तरह)। (ब्लैक्स लाॅ डिकशनरी देखें) वह विशेष रूप से नागरिकों और सरकारी एजेंसियों के बीच विवादों को हल करने के लिए विरोधात्मक/प्रतिकूल प्रणाली के विकल्प के रूप में कार्य करता है। वह एक स्वतंत्र और गैर-पक्षपाती अधिकारी हैं जो प्रशासनिक अन्याय और कुशासन के खिलाफ जनता की विशिष्ट शिकायतों से निपटते हैं (देखें 4 अमेरिकन ज्यूरिसपूडेंस 2 डी)। इसलिए, अपनी प्रकृति से, एक लोकपाल विवादों के समाधान के लिए विरोधी प्रणाली का एक विकल्प है, जब योजना के तहत लोकपाल के समक्ष शिकायत की विषय वस्तु को न्यायालय, न्यायाधिकरण, मध्यस्थ या

अन्य सक्षम मंच पर ले जाया जाता है, तो विषय वस्तु को लोकपाल के दायरे से हटाकर प्रतिकूल प्रणाली के तहत एक न्यायनिर्णायक मंच के समक्ष ले जाया जाता। इसलिए योजना के खण्ड 16 को उसके उप-खण्ड 3 (डी) के विशेष संदर्भ के साथ समझना तर्कसंगत है, कि एक पक्ष द्वारा प्रतिकूल प्रणाली पर एक न्यायिक मंच से संपर्क करने पर गैर विरोधी न्यायनिर्णायक, लोकपाल का गैर प्रतिकूल निर्णय के माध्यम से शिकायत का समाधान करने के अपनी शक्ति या अधिकार खो देना चाहिये। लोकपाल को विरोधी न्यायनिर्णायक के रूप में गठित करते हुये बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 या बैंकिंग लोकपाल योजना 1995 में परिभाषित नहीं किया गया है। योजना का खंड 12 उसे शिकायत के संबंध में संतुष्टि लाने के लिए प्रदान किये गये प्रणालियों के माध्यम से सहायक के रूप में गठित करता है। एक विरोधात्मक निर्णयन अनिवार्य रूप से लोकपाल द्वारा किये गये निर्णय की तुलना में उच्च स्तर पर होता है। जब विवादों के विरोधात्मक निर्णयन के लिए ऐसा मंच शिकायत के विषय को अपने हाथ में लेता है, तो योजना के खंड 16 की व्याख्या पर यह अभिनिर्धारित करना तर्कसंगत होगा कि लोकपाल शिकायत के विषय पर अपनी अधिकारिता खो देता है और परिणामस्वरूप स्वयं शिकायत को भी खो देता है।

13. इस प्रकार हमारा विचार है कि उच्च न्यायालय का बैंकिंग लोकपाल के अवार्ड में इस आधार पर हस्तक्षेप करना कि वह अपने

अधिकार क्षेत्र के विनिवेश को देखते हुए पुरस्कार पारित नहीं कर सकता था, न्यायसंगत था।

14. आखिरकार, अपीलार्थी की तरह का लोकपाल के समक्ष शिकायतकर्ता इस व्याख्या से प्रभावित नहीं होगा। यह अब यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, कलकत्ता बनाम। अभिजीत टी कंपनी प्रा. लिमिटेड और अन्य, [2000] पूरक 3 एस. सी. आर. 153 में स्पष्ट किया गया है कि ऋण वसूली अधिनियम की धारा 19 की उप-धारा (8) से (11) में 'प्रति-दावा' शब्द उसी लेन-देन के आधार पर, नुकसान के दावे को भी स्वीकार करेगी और इसमें ऋण वसूली न्यायाधिकरण के समक्ष प्रत्यर्थी द्वारा दावेदार वित्तीय संस्थान के खिलाफ एक स्वतंत्र दावा भी शामिल हो सकता है। इस प्रकार यह अभिनिर्धारित किया गया है कि एक प्रति-दावा ऋण वसूली न्यायाधिकरण और प्रत्यर्थी को एक व्यापक प्रतिदावा प्रस्तुत करने का अधिकार प्राप्त होगा। यह न्यायिक सिद्धांत पश्चात के निर्णय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बनाम रंजन केमिकल्स लि. एवं अन्य [2007]1एस.सी.सी.97 अतः यह स्पष्ट है कि अपीलार्थी दावे का बचाव करते हुए ऋण वसूली न्यायाधिकरण के समक्ष अपने सभी दावे कर सकता है, जिसमें वे भी शामिल हैं जिन्हें उसने बैंकिंग लोकपाल के समक्ष रखा था।

15. फिर सवाल यह है कि क्या शिकायत का विषय बैंकिंग लोकपाल

के दायरे में आता है। योजना के खंड 13 (बी) लोकपाल के क्षेत्राधिकार को इंगित करता है। खंड (ख) में प्रावधान है कि वह ऋणों और एडवांसेस से संबंधित शिकायतों पर केवल तभी विचार कर सकता है जब वे ब्याज दरों पर भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशों का पालन न करने, ऋण आवेदनों के निपटारे के लिए निर्धारित समय-सारणी के अनुमोदन में देरी/पालन न करने और भारतीय रिजर्व बैंक के किसी अन्य निर्देश या निर्देशों का पालन न करने से संबंधित हों, जो समय-समय पर योजना के उद्देश्य के लिए निर्दिष्ट किए जाएं। यह देखा गया है, जैसा कि उच्च न्यायालय ने पाया है कि ऐसा कोई दावा नहीं था कि प्रत्यर्थी-बैंक ब्याज दरों पर भारतीय रिजर्व बैंक के किसी भी निर्देश का पालन न करने का दोषी था। ऐसा भी कोई मामला नहीं है कि इस उद्देश्य के लिए भारतीय रिजर्व बैंक का कोई अन्य आदेश या निर्देश का प्रतिवादी-बैंक द्वारा पालन नहीं किया गया था। अधिकतम, अपीलार्थी यह दावा कर सकता है कि वह अतिरिक्त वित्त के लिए अपने ऋण आवेदन के निपटारे के लिए निर्धारित समय अनुसूची का पालन/संक्शन में देरी की शिकायत कर रहा था। यहां भी, प्रत्यर्थी-बैंक का मामला यह है कि अपीलार्थी बैंक से जिस प्रकार से ऋण का दावा कर रहा था, उस प्रकार के ऋण की सीमा बढ़ाने या होटल इण्डस्ट्रीज को अतिरिक्त लोन देने के लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गई थी एवं इस कारण से अपीलार्थी के किसी भी शिकायत का बैंकिंग लोकपाल के क्षेत्राधिकार में आने का प्रश्न नहीं उठता है। बैंकिंग लोकपाल के अवार्ड को



पढ़ने से पता चलता है कि अस्वीकृत किये गये पंद्रह लाख रूपए के मूल ऋण में से 3,41,250/- रुपये का शेष अमाउंट जारी किये जाने हेतु दिये गये निर्देश, कमिटी के सुझाव मात्र पर अतिरिक्त कोष मुहईया कराने के बैंक को दिये गये आदेश एवं 75:25 के वित्तपोषण अनुपात को बनाये रखने के लोकपाल के आदेश एवं उसकी पुनर्भुगतान अनुसूची को सात वर्ष के रूप में निर्धारित किये जाने जिसमें एक वर्ष की मोहलत और प्रत्यर्थी- बैंक द्वारा ऋण राशि का वितरण न करने के परिणामस्वरूप मोहलत में वृद्धि शामिल नहीं थी, सभी योजना के खंड 13 (बी) और परिणामस्वरूप बैंकिंग लोकपाल के क्षेत्राधिकार के बाहर हैं। बैंकिंग लोकपाल के पास बैंक को एेसे अग्रिम एडवांसेस जारी करने के लिए मजबूर करने का कोई अधिकार नहीं है, जिससे एक विवेकपूर्ण बैंकर संगत नहीं पाता हो। न ही बैंकिंग लोकपाल पुनर्भुगतान की समय सीमा संबंधी पक्षकारों के समझौते अथवा बैंक एवं ऋणी के वित्तपोषण अनुपात में हस्तक्षेप कर सकता है न ही बैंकिंग लोकपाल अधिस्थगन की अवधि में वृद्धि कर सकता है न ही ऋण अदायगी के लिए समय सीमा नियत कर सकता है। जैसा कि हमने संकेत दिया है, यह आक्षेप नहीं है कि इन विषयों से संबंधित भारतीय रिजर्व बैंक के किसी भी निर्देशों का प्रत्यर्थी बैंक द्वारा उल्लंघन किया गया हो। उच्च न्यायालय यह पाने में सही था कि बैंकिंग लोकपाल द्वारा अवार्ड पारित करके अपने क्षेत्राधिकार को पार कर लिया। इनमें से कोई भी निर्देश योजना के खंड 13 (बी) के दायरे में नहीं आता है। इस योजना के खंड 13

द्वारा बैंकिंग लोकपाल का अधिकार क्षेत्र को सीमित किया गया। इसलिए, किसी भी स्थिति में, बैंकिंग लोकपाल द्वारा जारी किए गए निर्देश उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर हैं। इस संदर्भ में, हम इस बात पर विचार करना आवश्यक नहीं समझते हैं कि ऋण देने के लिए समझौते का या अधिक धन उधार देने का निर्देश जारी किये किया जा सकता है, जो बैंक उधारकर्ता की ऋण योग्यता और दिये गये ऋण के पुनर्भुगतान के संबंध में उसके पूर्व आचरण को ध्यान में रखते हुए, जो ऋण देने के लिए तैयार था, उससे अधिक ऋण दिये जाने के लिये विनिर्दिष्ट अनुपालना कराई जा सकती है या नहीं।

16. इस प्रकार हम पाते हैं कि उच्च न्यायालय का बैंकिंग लोकपाल के अवार्ड में हस्तक्षेप करना उचित था, इसलिए हम अपीलार्थी की ओर से उठाये गये दोनों प्रश्नों का उत्तर अपीलार्थी के खिलाफ और प्रत्यर्थी - बैंक के पक्ष में देते हैं। इस प्रकार कानून के प्रश्नों का उत्तर दिया जाता है।

17. हम अपील को खारिज करते हैं।

याचिका खारिज कर दी गई।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी सुयश (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के

सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।